"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2015—आषाढ़ 19, शक 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शैल दीपक अग्निहोत्री पति श्री दीपक अग्निहोत्री, उम्र 32 वर्ष, जाति ब्राम्हण, निवासी-ग्राम भटगांव, तहसील बिलाईगढ़ थाना भटगांव जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मुझे शैल कुमारी श्रीवास पिता श्री रामनिवास श्रीवास, निवासी भटगांव तहसील बिलाईगढ़ जिला रायपुर के नाम से जानी पहचानी जाती थी. मेरा विवाह दिनांक 22 नवम्बर 2011 को दीपक अग्निहोत्री पिता श्री दिलीप कुमार अग्निहोत्री के साथ हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शैल दीपक अग्निहोत्री रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती शैल दीपक अग्निहोत्री पति श्री दीपक अग्निहोत्री के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शैल कुमारी श्रीवास पिता-श्री रामनिवास श्रीवास निवासी-ग्राम+पो. भटगांव तहसील बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) 493222	श्रीमती शैल दीपक अग्निहोत्री पति-श्री दीपक अग्निहोत्री निवासी-ग्राम+पो. भटगांव तहसील बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ. ग.) 493222

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जवाहर लाल विरदानी पिता स्व. केजा राम विरदानी, आयु 46 वर्ष, निवासी क्वा. नं. एफ/3, थाना मोहन नगर, पुलिस लाइन दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं पुलिस सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम जोहर लाल विरदानी दर्ज है जो कि मेरा घरेलू नाम है तथा मेरे बैंक खाता, एल. आई. सी., पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, आधार कार्ड में मेरा नाम जवाहर लाल विरदानी दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम जवाहर लाल विरदानी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे जवाहर लाल विरदानी पिता स्व. केजा राम विरदानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

जोहर लाल विरदानी
पिता-स्व. केजा राम विरदानी
निवासी-क्वा. नं. एफ/3, थाना मोहन नगर
पुलिस लाइन दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

जवाहर लाल विरदानी
पिता-स्व. केजा राम विरदानी
निवासी-क्वा. नं. एफ/3, थाना मोहन नगर
पुलिस लाइन दुर्ग, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बालोद (छ. ग.)

बालोद, दिनांक 23 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा./परि./2015/277.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/709 बालोद दिनांक 11-12-2013 के तहत पत्थर खदान श्रमिक सहकारी समिति मर्या. कांडे पं. क्र. 2549 को छ. ग. सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री आर. के. झा. वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

बालोद, दिनांक 23 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/उपंबा./परि./2015/278.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/उपंबा/परिसमापन/2013/707 बालोद दिनांक 11-12-2013 के तहत आदिवासी पत्थर खदान मजदूर सहकारी समिति मर्या. कारूटोला पं. क्र. 2616 को छ. ग. सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 (1) के तहत श्री आर. के. झा. वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक के द्वारा परिसमापन का संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं जॉन खलखो, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बालोद छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-15-1-सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत पंजीयक सहकारी संस्थाएं के द्वारा प्रदत्त शक्तियां जो मुझे वैष्ठित है, का उपयोग करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर से जारी किया गया.

जॉन खलखो,
उप पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स. पं. द./परिसमापन/2015/153.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./297/दन्तेवाड़ा, दिनांक 25-09-2012 के द्वारा फोतकादई आदि. बुनकर सहकारी समिति मर्या.गाटम विकासखण्ड कटेकल्याण जिला दन्तेवाड़ा पंजीयन क्रमांक/ए. आर./DWD/36 दिनांक 17-04-2006 है को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के अंतर्गत श्री एम. एस. सोरी (सह. निरी.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की अंतिम प्रतिवेदन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं एल. एल. बृंझ, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दन्तेवाड़ा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियॉ का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 27-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 29 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स. पं. द./परिसमापन/2015/154.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./203/दन्तेवाड़ा, दिनांक 24-09-2014 के द्वारा 9वीं वाहिनी कर्म. साख सहकारी समिति मर्या. कारली विकासखण्ड गीदम जिला दन्तेवाड़ा पंजीयन क्रमांक/ए. आर./DWD/71 दिनांक 11-03-2011 है को छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर 70 के अंतर्गत श्री एम. एस. सोरी (सह. निरी.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही संपन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था की अंतिम प्रतिवेदन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, कि इस संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं एल. एल. बृंझ, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बस्तर संभाग जगदलपुर अतिरिक्त प्रभार सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला दन्तेवाड़ा सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-1999 के अंतर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियां का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

एल. एल. बृंझ,
उप-पंजीयक.

कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नारायणपुर (छ. ग.)

नारायणपुर, दिनांक 23 जून 2015

[छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत]

क्रमांक/स. पं. ना./परि./2015/285.—कार्यालयीन सूचना पत्र, क्रमांक/स. पं. ना./परि./2015/170 नारायणपुर, दिनांक 01-04-2015 द्वारा 03 अकार्यशील एवं निष्क्रिय सहकारी समितियों को कारण बताओ पत्र, छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत प्रेषित किया गया था कि वे सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर साक्ष्य सहित समिति के कारोबार की संचालन प्रक्रिया की स्थिति से अवगत करावें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जायेगा.

चूंकि उपरोक्त कारण बताओ सूचना पत्र के जवाब में किसी भी समिति द्वारा उनके कारोबार प्रक्रिया को निरंतर बनाये रखने संबंधी न तो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया और न ही किसी प्रकार का निवेदन किया गया है कि समिति को परिसमापन में न लाया जाये. जिससे मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि निम्न वर्णित सहकारी समितियां भविष्य में कार्य नहीं करना चाहती और निष्क्रिय तथा अकार्यशील है.

क्रमांक	समिति का नाम	समिति का पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम एवं पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	जिला पुलिस बल थ्रिफ्ट एवं साख सह. संस्था मर्या. नारायणपुर	ए. आर. 09/ 02-12-2011	नारायणपुर	श्री हेमंत कुमार कुर्राम (उप-अंके.)
2.	आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या. सिरपुर, (बेनूर)	ए. आर. 03/ 06-10-2009	नारायणपुर	श्री पी. एस. ध्रुव (उप-अंके.)
3.	नटराज निर्माण कामगार सहकारी समिति मर्या. नारायणपुर	ए. आर. 10/ 07-05-2012	नारायणपुर	कु. यामिनी ओट्टी (उप-अंके.)

अतएव मैं एस. एन. बघेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ नारायणपुर, जिला नारायणपुर छ. ग. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय रायपुर की अधिसूचना क्रमांक/एफ-15/सहकारिता/19/15-2/2012/1 दिनांक 04/5/2012 एवं छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त समितियों को परिसमापन में लाये जाने का आदेश पारित करते हुए क्रमांक 05 में दर्शित अधिकारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा जो आज दिनांक 23-06-2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी की जा रही है.

एस. एन. बघेल ,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.